सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 19, गुरूवार, *शाके* 1945-अगस्त 10, 2023

Sravana 19, Thursday , Saka 1945- August 10, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नागौर

(अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 **की धारा** 4(1))

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 07, 2023

संख्या F2(26)PW/AS/SEC-II/2022-23/RAJKAJ 4483247 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन**,** पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम **2013** के तहत् राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(150) राज-6/2016/02 दिनांक 27/01/2017 के निर्देशानुसार **लालाप गांव में सड़क निर्माण** विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला नागोर की तहसील खिवसर में निम्नानुसार प्रभावित गाँवं में भूमि अर्जन प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	नागोर	खिवसर	**लालाप**

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा "**सामाजिक आर्थिक विकास समिति नया रलावता, पोस्ट-गरूडवासी तह. चाकसु जिला -जयपुर 303901**" एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवोंं में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जावेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझाओं/आपत्तियों को समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बिन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5.पी.पी.पी. माध्यम के तहत विकसित किये जाने वाली परियोजनाओं हेतु अधिनियम की धारा 2(2)(a)(ii) के प्रावधानानुसार प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक होगी।

6.सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।

7.सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्ण /सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र :-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग

खण्ड नागोर (राजस्थान)

फोन नं.

समाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

सामाजिक आर्थिक विकास समिति

1- **श्री रामकृष्ण मीना परियोजना निदेशक**

सम्पक न.- 09829274259

कार्यालय**- प्लाट न**. 11, **वार्ड न**. 19, **कृषि मण्डी के सामने चाकसु** 303901 **जिला जयपुर राजस्थान**

ई-मेल savscks@gmail.com

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

~~राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।~~